

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-163/2018-19

सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा बनाम राज्य

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी, पटना सदर का पत्रांक-8380 दिनांक-27.12.2018 के द्वारा खेसरा सुधार वाद संख्या-82/2018-19 प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी के अभिलेख में उल्लेख है कि जमीन का खाता, खेसरा और रकबा का निर्गत लगान रसीद निर्गत किया जा चुका है जिसमें खेसरा नं0 282 है। खेसरा संख्या 282 को सुधार कर खेसरा संख्या 284 करने के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय पटना के सब जज 13 सह अपर मुख्य न्यायिक के द्वारा पारित आदेश में खेसरा संख्या 284 को ही सही दर्शाया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर पटना के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव से सहमत हूँ जिसे स्वीकृत किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि पूर्व के खेसरा संख्या 282 के स्थान पर खेसरा संख्या 284 सुधार करने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश से क्षुब्ध पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित। (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना।</p> <p style="text-align: right;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना।</p>	